

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 03.10.2018

एफ क्र-44-13/2017/20-2 राज्य शासन एतद द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के लिए प्रभावशील अतिथि शिक्षक व्यवस्था अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों के निम्नानुसार मानदेय की दरें स्वीकृति की जाती हैं

स.क्र.	अतिथि शिक्षक की श्रेणी	प्रति काल खण्ड दर	मानदेय की अधिकतम मासिक सीमा
1	2	3	4
1	अतिथि शिक्षक वर्ग-1	90	9000
2	अतिथि शिक्षक वर्ग-2	75	7000
3	अतिथि शिक्षक वर्ग-3	50	5000

2. मानदेय की उक्त दरें दिनांक 01.08.2018 से लागू होंगी।
3. अतिथि शिक्षकों द्वारा न्यूनतम 03 कालखण्ड प्रति दिवस कार्य करना अनिवार्य होगा।
4. अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर होने वाला व्यय लेखा शीर्ष 40-2202 (02) - (109) -(घ) - 0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नोट क्रमांक 713/आर/951/ब-3/चार/2018 दिनांक 29-9-2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(प्रमोद सिंह) 31/10/18  
उप सचिव,

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र.44-13/2017/20-2

प्रतिलिपि :-

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, के विशेष सहायक।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जनजातीय कार्य विभाग।
4. महालेखाकार, गवालियर म.प्र.श.
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. आर्डर बुक।

भोपाल, दिनांक 3/10/2018

(प्रमोद सिंह) 31/10/18  
उप सचिव

म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग